

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 7(8)डीओपी/ए-11/2008

जयपुर, दिनांक: 25.8.09

अधिसूचना

राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम सं. 12) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा अधिसूचित करती है कि पिछड़े वर्गों और विशेष पिछड़े वर्गों में के व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्ग इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कीमीलेयर होंगे, अर्थात् :-

क.सं.	प्रवर्गों का विवरण	व्यक्तियों के वर्ग
1	2	3
1	<u>संवैधानिक पद</u>	(क) भारत के राष्ट्रपति ; (ख) भारत के उपराष्ट्रपति ; (ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश ; (घ) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य; मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ; (ङ) समान प्रकृति के संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्तियों ; के पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) ।
2	<u>सेवा प्रवर्ग</u> क. अखिल भारतीय केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के ग्रुप क/वर्ग-1 अधिकारी	(क) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग-1 अधिकारी हैं ; (ख) माता-पिता, जिनमें से कोई एक वर्ग-1 अधिकारी है ; (ग) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग-1 अधिकारी हैं किन्तु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अक्षमता से ग्रस्त है ;

24/09(ii)

	<p>ख. केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के ग्रुप-ख/द्वितीय श्रेणी अधिकारी</p>	<p>(घ) माता-पिता, जिनमें से कोई एक वर्ग-1 अधिकारी है और ऐसे माता या पिता की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अक्षमता से ग्रस्त हो जाता है और जिसने ऐसी मृत्यु या अक्षमता से पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में 5 वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए नियोजन का फायदा प्राप्त कर लिया है ;</p> <p>(ङ.) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग-1 अधिकारी हैं, की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अक्षमता से ग्रस्त हो जाते हैं और दोनों की ऐसी मृत्यु या ऐसी अक्षमता से पूर्व, उनमें से किसी एक ने किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में 5 वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए नियोजन का फायदा प्राप्त कर लिया है ;</p> <p>के पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) : परन्तु कीमीलेयर निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी:-</p> <p>(क) ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियां जिनमें से कोई एक या दोनों वर्ग-1 अधिकारी हैं और ऐसे माता या पिता (माता-पिता) की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अक्षमता से ग्रस्त हो जाते हैं।</p> <p>(ख) पिछड़े वर्ग या विशेष पिछड़े वर्ग से संबंधित कोई महिला वर्ग-1 अधिकारी से विवाह कर लेती है, और स्वयं नौकरी के लिए आवेदन करे।</p> <p>(क) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग-1 अधिकारी हैं।</p> <p>(ख) माता-पिता, जिनमें से केवल पति वर्ग -1 अधिकारी है और वह 40 वर्ष या उससे कम की आयु में वर्ग-1</p>
--	--	--

		अधिकारी बन जाता है ।
		<p>(ग) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग-II अधिकारी हैं, और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अक्षमता से ग्रस्त हो जाता है और उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु या ऐसी स्थायी अक्षमता से पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में 5 वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए नियोजन का फायदा प्राप्त कर लिया है।</p> <p>(घ) माता-पिता, जिनमें से पति(सीधी भर्ती या चालीस वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) वर्ग-I अधिकारी है और पत्नी वर्ग-II अधिकारी है और पत्नी की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अक्षमता से ग्रस्त हो जाती है :</p> <p>(ङ.) माता-पिता, जिनमें से पत्नी (सीधी भर्ती या चालीस वर्ष की आयु से पूर्व पदोन्नत) वर्ग-I अधिकारी है और पति वर्ग-II अधिकारी है और पति की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अक्षमता से ग्रस्त हो जाता है :</p> <p>के पुत्र और पुत्री (पुत्रिया) : परन्तु कीमिलेयर निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी :</p> <p>(क) माता-पिता, जो दोनों ही वर्ग-II अधिकारी हैं और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अक्षमता से ग्रस्त हो जाता है।</p> <p>(ख) माता-पिता जो दोनों ही वर्ग-II अधिकारी हैं और दोनों की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अक्षमता से ग्रस्त हो जाते हैं, यद्यपि दोनों में से किसी एक ने उसकी मृत्यु या स्थायी अक्षमता से पूर्व किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त</p>

	<p>(ग) पब्लिक सेक्टर, उपकर्मों आदि के कर्मचारी :</p>	<p>राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि में पांच वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए नियोजन का फायदा प्राप्त कर लिया हो : के पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) । इस प्रवर्ग में ऊपर क और ख में प्रगणित मानदण्ड पी.एस.यू. बैंक, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समतुल्य या सदृश पद और प्राइवेट नियोजन के अधीन समतुल्य या सदृश पद और स्थिति धारण करने वाले अधिकारी पर भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, इन संस्थाओं में समतुल्य या सदृश आधार पर पदों के मूल्यांकन को लम्बित रखते हुए, नीचे प्रवर्ग-6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होंगे ।</p>
3.	<p><u>पैरा मिलिटरी बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों को धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं)</u></p>	<p>माता-पिता, इनमें से कोई एक या दोनों सेना में कर्नल और उससे ऊपर की रैंक जल सेना और वायु सेना और पैरा मिलिटरी बलों में समतुल्य पदों पर हैं के पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) परन्तु, - (i) यदि सशस्त्र बल अधिकारी की पत्नी स्वयं सशस्त्र बल में है (अर्थात् विचाराधीन प्रवर्ग) तो कीमीलेयर केवल तब लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल की रैंक पर पहुंच जायेगी ; (ii) पति और पत्नी की कर्नल से नीचे के सेवा रैंक साथ नहीं जोड़े जायेंगे ; (iii) यदि सशस्त्र बलों में के किसी अधिकारी की पत्नी सिविल नियोजन में है तो यह कीमीलेयर लागू करने के लिए तब तक विचार में नहीं लिया जायेगा जब तक कि वह मद सं. II के अधीन सेवा प्रवर्ग में, जिस मामले में उसमें प्रगणित मानदण्ड और शर्तें उस पर स्वतंत्र रूप से लागू होंगे, नहीं आती है ।</p>

<p>4.</p>	<p><u>वृत्तिक वर्ग और जो व्यापार और उद्योग में लगे हुए हों</u> (i) चिकित्सक, वकील, चार्टड एकाउन्टेन्ट, आयकर सलाहकार, वित्तीय या प्रबंध सलाहकार, सर्जन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, कम्प्यूटर विशेषज्ञ, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यावसायिक, लेखक, प्लेराइटर, खिलाड़ी, क्रीड़ा व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी के रूप में वृत्ति में या समान प्रास्थिति वाले किसी भी अन्य व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति। (ii) व्यापार, कारबार और उद्योग में लगे हुए व्यक्ति</p>	<p>प्रवर्ग-6 के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे। प्रवर्ग 6 के सामने विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे— स्पष्टीकरण : (i) जहां पति किसी व्यवसाय में है और पत्नी किसी वर्ग-II या निम्न श्रेणी के रोजगार में है वहां आय/सम्पदा परीक्षण केवल पति की आय के आधार पर लागू होगा। (ii) यदि पत्नी किसी व्यवसाय में है और पति किसी वर्ग-II या निम्न रैंक के पद पर रोजगार में है तब आय/सम्पदा मापदण्ड केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को इसके साथ जोड़ा नहीं जायेगा।</p>
<p>5.</p>	<p><u>सम्पत्ति के स्वामी</u> क. कृषि जोत</p>	<p>किसी परिवार (पिता, माता और अवयस्क बच्चे) से संबंधित व्यक्तियों के पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) जिनके स्वामित्व में है - (क) केवल सिंचित भूमि जो कानूनी अधिकतम सीमा क्षेत्र के बराबर या उसके 85 प्रतिशत से अधिक है, या (ख) दोनों सिंचित और असिंचित भूमि, जो निम्नलिखित रूप में है :- (i) कीमीलेयर वहां लागू होगा जहां यह पूर्व शर्त विद्यमान है कि</p>

		<p>सिंचित क्षेत्र (किसी समान हर के अधीन किसी एकल प्रकार में लाया गया हो)</p> <p>सिंचित भूमि (यह असिंचित भाग को अपवर्जित करके संगणित किया गया हो) के लिए कानूनी अधिकतम सीमा का 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। यदि 40 प्रतिशत से अन्यून की यह पूर्व शर्त विद्यमान है तो केवल असिंचित भूमि का क्षेत्र ही ध्यान में रखा जायेगा। इसे असिंचित भूमि को विद्यमान संपरिवर्तन सूत्र के आधार पर सिंचित प्रकार में संपरिवर्तित करके किया जायेगा। असिंचित भूमि से इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिंचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र में जोड़ा जायेगा और यदि इस प्रकार साथ जोड़े जाने के पश्चात् सिंचित भूमि के निबंधनों में कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम सीमा का 85 प्रतिशत या उससे अधिक है तो कीमीलेयर लागू होगा और हक जाता रहेगा।</p> <p>(ii) कीमीलेयर लागू नहीं होगा यदि किसी परिवार की भू-जोत अनन्य रूप से असिंचित है।</p>
	<p>ख. पौधारोपण</p> <p>(i) कॉफी, चाय, रबर इत्यादि</p> <p>(ii) आम, सिट्रस, सेव पौधारोपण इत्यादि</p> <p>ग. नगरीय क्षेत्रों या नगर संघटकों में खाली भूमि और/या भवन</p>	<p>नीचे प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट आय/सम्पदा के मानदण्ड लागू होंगे।</p> <p>कृषि जोत के रूप में समझी जायेगी और इसलिए इस प्रवर्ग के अधीन ऊपर क में के मानदण्ड लागू होंगे।</p> <p>नीचे प्रवर्ग 6 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होंगे।</p> <p>स्पष्टीकरण :</p> <p>भवन को निवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजन और इस प्रकार के दो या अधिक ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जा सकेगा।</p>

6	आय/सम्पदा परीक्षण	<p>(क) लगातार तीन वर्ष की किसी कालावधि के लिए 4 लाख और पचास हजार रुपये या इससे अधिक सकल वार्षिक आय वाले या सम्पदा कर अधिनियम में यथा-विहित छूट सीमा के ऊपर सम्पदा रखने वाले व्यक्तियों :</p> <p>(ख) प्रवर्ग 1, 2, 3 और 5 क में के व्यक्तियों, जो आरक्षण के फायदे से वंचित नहीं है किन्तु जिनकी सम्पदा के अन्य स्रोतों से आय है, जो उनको ऊपर (क) में उल्लिखित आय/सम्पदा के मानदण्ड के भीतर ला देगी :</p> <p>के पुत्र या पुत्री (पुत्रियां)।</p> <p><u>स्पष्टीकरण :</u></p> <p>(i) वेतन या कृषि भूमि से आय को जोड़ा नहीं जायेगा।</p> <p>(ii) रुपये के रूप में आय के मानदण्ड को प्रत्येक तीन वर्ष में इसके मूल्य में परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपांतरित किया जायेगा। तथापि, यदि स्थिति की यह मांग हो तो अन्तर्काल कम हो सकेगा।</p> <p><u>स्पष्टीकरण :</u></p> <p>इस अनुसूची में जहां कहीं भी अभिव्यक्ति "स्थायी असमर्थता" आयी हो इसका अभिप्राय ऐसी असमर्थता से होगा जिसका परिणाम किसी अधिकारी को सेवा से पृथक करना है।</p>
---	-------------------	--

राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(बी0 के0 दोसी)

शासन उप सचिव

24/09(ii)